राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः– एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पदसृजन/2010/पार्ट–1 जयपुर, दिनांकः 22 JAN 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान

विषयः–महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय को निर्धारित सीमा में रखे जाने हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भः–इस कार्यालय का परिपत्र दिनांक 06.04.2015 एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्देश दिनांक 05.11.2015 की पालना हेतु जारी पत्र दिनांक 07.12.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ मे लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रम एंव सामग्री मद पर होने वाले कुल व्यय के 6 प्रतिशत की सीमा में प्रशासनिक व्यय को रखे जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। परन्तु दिनांक 01.12.2015 को योजनान्तर्गत राज्य का प्रशासनिक व्यय **7.62 प्रतिशत** था, जो दिनांक 31.12.2015 को बढकर **7.65 प्रतिशत** हो गया। इससे यह प्रतीत होता है कि राज्य मुख्यालय से बार बार निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी जिलों के द्वारा प्रशासनिक व्यय को 6 प्रतिशत की सीमा में लाने हेतु कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं जो अत्यन्त खेद का विषय है।

वित्त विभाग द्वारा महात्मा गाधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों की अवधि **दिनांक 29.02.2016** तक बढाये जाने की सहमति इस शर्त पर दी है कि विभाग का उत्तरदायित्व होगा कि प्रशासनिक व्यय योजना के दिशा निर्देशानुसार अनुमत सीमा में रहे।

बांसवाडा, बाडमेर, डूंगरपुर, जैसलमेर को छोडकर अन्य सभी जिलों का प्रशासनिक व्यय **5 प्रतिशत** से अधिक है, जिसमें अलवर, दौसा, धौलपुर, सीकर एवं उदयपुर जिलों का प्रशासनिक व्यय **10 प्रतिशत** से अधिक है। **जयपुर एवं झुन्झुनु जिलों की स्थिति अत्यन्त गंभीर है जहां प्रशासनिक व्यय 21 प्रतिशत से अधिक है।**

इस क्रम में तत्काल निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के प्रयास किये जाकर योजना में कार्यरत कार्मिकों को जिले में कार्य के अनुपात में नियोजित किया जावे।
2. जिन संविदा कार्मिकों के द्वारा निर्धारित समयावधि/इस वित्तीय वर्ष में अपेक्षित परिणाम नहीं दिया गया है, उनको नियमानुसार प्रक्रिया कर सेवा समाप्ति की कार्यवाही